राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज)

<u>बैठक कार्यवाही विवरण</u>

1. पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि कार्यक्रम के अन्तर्गत दिनांक 24.02.2011 को माननीय मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में गठित उच्चाधिकार प्राप्त समिति की बैठक हुई जिसमें उपस्थित अधिकारियों का विवरण परिशिष्ट ''अ'' पर अंकित है।

2. बैठक के प्रारम्भ में शासन सचिव एवं आयुक्त पंचायती राज द्वारा अवगत कराया गया कि बांसवाड़ा, चित्तोड़गढ़ एवं उदयपुर जिले के पुर्नगठन कर नवसृजित किये गये प्रतापगढ़ जिले को बी.आर.जी.एफ. कार्यक्रम के तहत भारत सरकार द्वारा अतिरिक्त राशि आवंटित नही की जा रही है एवं भारत सरकार द्वारा बांसवाड़ा, चित्तोड़गढ़ एवं उदयपुर जिले को प्राप्त होने वाली राशि में से ही प्रतापगढ़ को आनुपातिक रूप में राशि उपलब्ध करवाने के निर्देश दिये गये है तद्नुसार प्रतापगढ़ को अन्य जिलों की राशि में से 9.41 करोड़ की राशि उपलब्ध करवाई जा रही है।

कार्यक्रम के दिशा–निर्देशों के अनुसार विकास कोष की कुल सीलिंग राशि में से प्रत्येक जिले को न्यूनतम 10.00 करोड़ एवं शेष राशि की 50–50 प्रतिशत राशि जिलों की जनसंख्या एवं क्षेत्रफल के आधार पर उपलब्ध करवाने के प्रावधान किये गये है। मुख्य सचिव महोदय द्वारा प्रतापगढ़ जिले को कार्यक्रम के तहत पृथक जिले के रूप में अतिरिक्त राशि जारी करने हेतु सचिव, पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार को अनुरोध पत्र लिखे जाने के निर्देश दिये गये।

3. प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज द्वारा कार्यक्रम की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति पर चर्चा करते हुए नगरनिकायों की अपेक्षाकृत धीमी प्रगति की ओर ध्यान आकृष्ट किया एवं सुझाव दिया कि भारत सरकार के स्तर पर शहरी क्षेत्र के लिये राशि का आंवटन सीधे ही स्थानीय निकाय विभाग के माध्यम से किया जावे ताकि शहरी क्षेत्र की प्रगति की मॉनेटरिंग का पूर्ण उत्तरदायित्व स्थानीय निकाय विभाग का निर्धारित हो सके। शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज द्वारा कार्यक्रम के तहत गैर चयनित जिलों के अति पिछड़े हुए ब्लॉक को भी कार्यक्रम की परिधि में लाने का सुझाव दिया गया। समिति द्वारा उक्त बिन्दुओं के सम्बन्ध में सहमति व्यक्त करते हुए वांछित कार्यवाही हेतु भारत सरकार को लिखे जाने का निर्णय लिया।

बैठक के दौरान एजेन्डा बिन्दुओं पर विस्तृत चर्चा के उपरान्त निम्न निर्णय लियेः–

4. बैठक एजेन्डा संख्या 1:

उच्चाधिकार प्राप्त समिति की दिनांक 04.06.2010 को आयोजित बैठक में लिये गये निर्णयों के क्रियान्वयन की स्थिति नोट की गई।

5. बैठक एजेन्डा संख्या 2:

5.1 विकास कोष वार्षिक योजनाओं की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति की संवीक्षा करते हुए वर्तमान में प्रगतिरत 8163 कार्यो को प्राथमिकता से पूर्ण करवाने के निर्देश दिये गये।

5.2 क्षमता निर्माण योजना 2007–10 की संभावित बचत राशि 589.00 लाख में से राशि 550.00 लाख का उपयोग योजनान्तर्गत निर्मित 278 ग्राम स्तरीय भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केन्द्रों में सोलर संयत्र स्थापित किये जाने (प्रति केन्द्र 1.98 लाख) एवं 39.00 लाख का उपयोग चयनित 13 जिलों में

पर्सपेक्टिव प्लान तैयार करने हेतु चयनित तकनीकी संस्थाओं को (प्रति जिला 3.00 लाख) भुगतान किये जाने हेतु उपयोग करने की सहमति प्रदान की गई।

5.3 क्षमता निर्माण योजना 2006–07 एवं 2007–10 की राशि का उपयोग करने हेतु निम्नानुसार सहमति दी गई।

1. क्षमता निर्माण मद की वार्षिक योजना 2007–10 के तहत इन्दिरा गांधी पंचायती राज संस्थान को उपलब्ध करवाई गई राशि में से विभिन्न मदों में होने वाली बचत का उपयोग प्रशिक्षणों से वंचित रहे जन प्रतिनिधियों (वार्ड पंच) को प्रशिक्षण एवं केरल अथवा अन्य राज्यों की **exposure visit** आयोजित किये जाने पर सहमति दी गई।
2. इन्दिरा गांधी पंचायती राज संस्थान द्वारा प्रशिक्षण माड्यूल्स आदि के प्रकाशन हेतु उपलब्ध करवाई गई राशि से अधिक व्यय की गई राशि रूपये 8.625 लाख को मास्टर ट्रेनर्स के लिये आवंटित राशि की बचत में से समायोजित किये जाने के निर्देश दिये गये।
3. पंचायती राज न्यूज लेटर हेड में प्रावधित राशि 12.00 लाख रूपये इन्दिरा गांधी पंचायती राज संस्थान से पंचायती राज विभाग को हस्तान्तरित किये गये है उक्त प्रावधित राशि को राजस्थान विकास एवं सीटिजन चार्टर के प्रकाशन पर व्यय किया जाने का विभागीय निर्णय लिया जा चुका है। समिति द्वारा कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई।
4. क्षमता निर्माण मद के तहत पंचायती राज विभाग को वार्षिक योजना 2006–07 के तहत बेसलाईन सर्वे के लिये आवंटित राशि में से होने वाली बचत राशि का उपयोग आवश्यकतानुसार राज्य स्तरीय मानेटरिंग सेल हेतु किये जाने की सहमति दी गई।

5.4 इन्दिरा गांधी पंचायती राज संस्थान को क्षमता निर्माण योजना 2007–10 के तहत करिश्मा प्रोजेक्ट से कनेक्टिवीटी के लिये राशि 2.00 लाख उपलब्ध करवाई गई थी। संस्थान के प्रस्तावानुसार करिश्मा से कनेक्टिवीटी किया जाना संभव नही हो पा रहा है अतः उक्त राशि का उपयोग बी.एस.एन.एल.से इन्टरनेट लीज लाईन हेतु किये जाने की सहमति दी गई।

5.5 क्षमता निर्माण मद वार्षिक योजना 2010–11 का प्रारूप भारत सरकार को प्रस्तुत किया हुआ है जिसके विरूद्व राशि 12.00 करोड़ वित्तीय वर्ष 2011–12 के प्रारम्भ में ही प्राप्त होना संभावित है। योजना में सम्मिलित अधिकांश गतिविधियों को पूर्व वार्षिक योजना के तहत प्राप्त राशि से क्रियान्वित कराया जा सकता है। अतः उक्त राशि का उपयोग चयनित जिलों के लगभग 606 ग्राम स्तरीय भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केन्द्रों में सोलर संयत्रों की स्थापना, (प्रति केन्द्र 1.98 लाख,) पर किये जाने की सहमति दी गई।

6. बैठक एजेन्डा संख्या 3

6.1 विकास कोष वार्षिक योजना 2011–12 के प्रस्तावित प्रारूप राशि रूपये 445.81 करोड़ के सम्बन्ध में शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज द्वारा विस्तार से अवगत कराया। योजना प्रारूप में 17.22 प्रतिशत कार्य अनुसूचित जाति एवं 23.64 प्रतिशत कार्य अनुसूचित जन जाति के लिये प्रस्तावित किये गये है जो इस सम्बन्ध में जारी दिशा–निर्देशों के अनुरूप है। उन्होने वार्षिक योजनाओं में जिलों द्वारा किसान सेवा केन्द्रों का निर्माण, बीज गोदाम, दुग्ध संकलन केन्द्र, हाट बाजार निर्माण, रंगमंच, विश्राम गृह आदि प्रकृति के प्रस्तावित कार्यो से अधिक उपयोगी कार्यो को लिये जाने हेतु जिला आयोजना समितियों को निर्देशित किये जाने का सुझाव दिया गया।

मुख्य सचिव महोदय द्वारा वार्षिक योजनाओं के निर्माण की प्रक्रिया पर चर्चा करते हुए क्रियान्वित करवाये जाने वाले कार्यो की प्राथमिकता प्रशासनिक विभागों के सहयोग से निर्धारित करने के निर्देश दिये गये। निर्धारित प्राथमिकता अनुसार वार्षिक योजनाओं में कार्यो को प्रस्तावित करने हेतु जिला आयोजना समितियों को Sensitize करने का निर्णय लिया गया।

6.2 योजनान्तर्गत विकास कोष मद में राज्य को आवंटित राशि 250.99 करोड़ में 5 प्रतिशत राशि का उपयोग नियोजन और क्रियान्वयन के लिये पर्याप्त संख्या में कार्मिको की व्यवस्था पर किये जाने के प्रावधान कार्यक्रम के दिशा–निर्देशों में किये गये है। उक्त राशि का उपयोग जिला प्रोजेक्ट मेनेजमेंट यूनिट के लिये प्रस्तावित लागत राशि 6.14 लाख, प्रति जिला (1 जिला परियोजना निदेशक प्रति माह 20000, 1 सिविल इंजिनियर प्रति माह 10000, 1 रिसर्च एस्स्टेंट 10000 प्रति माह, 1 कम्पयूटर मय ऑपरेटर 6200 प्रति माह, 1 टेलीफोन ऑपरेटर 5000 प्रति माह) एवं ब्लॉक स्तर प्रोजेक्ट मेनेजमेंट यूनिट, प्रस्तावित लागत 3.86 लाख प्रति ब्लॉक (1 ब्लॉक परियोजना निदेशक प्रति माह 10000, 2 मोबाईल लेखाकार, प्रति माह 8000, 1. कम्पयूटर मय ऑपरेटर 6200 प्रति माह) की स्थापना तथा छात्रावासों/अन्य वृहद स्तर के निर्माणाधीन कार्यों को पूर्ण करने हेतु निम्नानुसार सहमति दी गई:–

क्रम संख्या	जिले का नाम	जिले की सार्केतिक राशि	5 प्रतिशत राशि	प्रोजेक्ट मेनेजमेंट यूनिट के लिये	होस्टल/वृहद स्तर कार्यो के लिये
1	2	3	4	5	6
1.	बांसवाड़ा	1556.00	77.80	37.02	40.78
2.	बाड़मेर	3359.00	167.95	37.02	130.93
3.	चित्तौड़गढ़	1453.00	72.65	48.60	0.00
4.	डूंगरपुर	1504.00	75.20	25.44	49.76
5.	जैसलमेर	3711.00	185.55	17.72	29.45
6.	जालोर	2045.00	102.25	37.02	53.55
7.	झालावाड़	1685.00	84.25	29.30	0.00
8.	करौली	1664.00	83.20	25.44	0.00
9.	स0माधोपुर	1570.00	78.50	25.44	53.06
10.	सिरोही	1538.00	76.90	25.44	51.46
11.	टोंक	1759.00	87.95	29.30	0.00
12.	उदयपुर	2314.00	115.70	48.60	0.00
13.	प्रतापगढ़	941.00	47.05	25.44	0.00
		25099.00	**1254.95**	**411.78**	**408.99**

6.3 **क्षमता निर्माण योजना 2011–12 का प्रस्तावित प्रारूप राशि रूपये 17.74 करोड़ को अनुमोदित किया गया।** राज्य स्तर पर मॉनेटरिंग सेल के लिये प्रस्तावित राशि 25.00 लाख का उपयोग पूर्वानुसार सेवाओं की आउटसोर्सिंग के साथ ही एक वाहन अनुबन्ध के आधार पर नियमित रूप से आउटसोर्स किये जाने एवं मानेटरिंग सेल के लिये आवश्यक स्टेशनरी, फर्नीचर,, 3 लेपटॉप, 1 फैक्स मय फोटो स्टेट मशीन, 4 पैन ड्राईव, 4 केलकुलेटर एवं 2 इन्टरनेट डेटा कार्ड (3 जी) इत्यादि पर किये जाने की सहमति दी गई।

7. **बैठक एजेन्डा संख्या 4: <u>ग्राम पंचायतों/नगर निकायों के मध्य राशि का वितरण</u> :**

वृहद स्तर के कार्यो के क्रियान्वयन हेतु अन्य राज्यों की भांति जिला परिषद/पंचायत समितियों को राशि उपलब्ध करवानें हेतु विकास कोष वार्षिक योजना 2012–13 एवं आगामी वार्षिक योजनाओं के लिये राशि वितरण के निम्न फार्मूले पर समिति द्वारा सहमति प्रदान की गई:–

7.1 जिले के लिये निर्धारित सीलिंग के अनुसार ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में राशि का वितरण जनसंख्या वर्ष 2011 (जनगणना 2011 के आंकड़े प्रकाशित नही होने की स्थिति में जनगणना 2001 के अनुसार) की ग्रामीण एवं शहरी आबादी के अनुसार किया जावे।

7.2 ग्रामीण क्षेत्र को तद्नुसार उपलब्ध होने वाली राशि में से राज्य वित्त आयोग के अनुसार जिला परिषद को 10 प्रतिशत, पंचायत समितियों के लिये 15 प्रतिशत एवं शेष 75 प्रतिशत राशि ग्राम पंचायतों को आवंटित की जावेगी।

7.3 पंचायत समितियों एवं ग्राम पंचायतों के लिये आरक्षित राशि का वितरण पंचायत समितियों/ग्राम पंचायतों के मध्य उनकी जनसंख्या के अनुपात में किया जा सकेगा। इसी प्रकार नगरनिकायो के लिये आरक्षित राशि का वितरण नगरनिकायों की जनसंख्या के अनुसार किया जावेगा।

7.4 जिला परिषदों/पंचायत समितियों द्वारा उक्त राशि का उपयोग एक से अधिक पंचायत समितियों/ग्राम पंचायतों से सम्बद्व कार्यो पर किया जा सकेगा। राशि के उपयोग में प्राथमिकता वृहद स्तर के कार्यो में व्याप्त अन्तराल को दूर करने को दी जावेगी। पंचायत समिति/जिला परिषद द्वारा कराये जाने वाले कार्यो का चयन साधारण सभाओं में किया जावेगा। उक्त प्रस्तावों को जिला आयोजना समितियों के अनुमोदनानुसार क्रियान्वित कराया जा सकेगा।

8. **बैठक एजेन्डा संख्या 5: (सामाजिक अकेंक्षण)**

बी.आर.जी.एफ. कार्यक्रम के दिशा–निर्देशों में कार्यक्रम के तहत क्रियान्वित कराये गये कार्यो के सामाजिक अकेंक्षण कराये जाने के प्रावधान किये गये है। इन प्रावधानों को क्रियान्वित कराये जाने हेतु ग्रामीण विकास विभाग द्वारा जारी दिशा–निर्देश 2008 के अनुरूप ही सामाजिक अकेंक्षण करवाये जाने पर सहमति दी गई।

9. **बैठक एजेन्डा संख्या 6:**

वित्तीय वर्ष 2007–08 एवं 2008–09 के अन्तर्गत स्वीकृत सणपा छात्रावास का स्थान सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा परिवर्तन कर ग्राम– जैसिन्धर स्टेशन किया गया है। समिति द्वारा पूर्व स्वीकृत राशि को नवीन स्वीकृत स्थान पर उपयोग लिया जाने की सहमति दी गई साथ ही वरवास बड़ी (बांसवाड़ा) विकास नगर (डूंगरपुर), सेमारी एवं भंवराना (उदयपुर) एवं करणपुर (करौली) छात्रावास निर्माण कार्य, जो अब तक चालू नही हो सके है, की स्वीकृति निरस्त करने तथा उक्त कार्यो की स्वीकृत राशि अन्य स्वीकृत छात्रावासों एवं डेयरी के अपूर्ण निर्माण कार्यो को पूर्ण करने में उपयोग लिये जाने की सहमति दी गई।

10. **बैठक एजेन्डा संख्या 8:**

आदर्श ग्राम पंचायत जैसिन्धर स्टेशन पर आवासीय विद्यालय भवन का निर्माण वार्षिक योजना 2012–13 के तहत जिला परिषद को उपलब्ध होने वाली राशि से जिला आयोजना समिति के अनुमोदन के पश्चात् कराया जा सकेगा।

11. **बैठक एजेन्डा संख्या 9:**

पेयजल सम्बन्धी कार्यो की कार्यकारी एजेन्सी का निर्धारण करने हेतु ग्राम पंचायतों को अधिकृत किया गया।

12. **बैठक एजेन्डा संख्या 10:**

क्षमता निर्माण मद की राशि पुर्वानुसार पंचायती राज विभाग द्वारा कार्यकारी संस्थाओं को उन्हें आवंटित गतिविधियों के अनुसार उपलब्ध करवाई जावेगी।

13. **बैठक एजेन्डा संख्या 11**

क्षमता निर्माण योजना 2007–10 के तहत मानेटरिंग सेल के प्रावधिल राशि का उपयोग रिसर्च एसिसटेन्ट के स्थान पर 2 अनुभवी एवं उच्च तकनीकी विशेषज्ञों (1.बी.आर.जी.एफ. राज्य परियोजना

समन्वयक 2. विकेन्द्रित आयोजना विशेषज्ञ , अनुमानित व्यय प्रति विशेषज्ञ 35000.00 प्रति माह) की आउटसोर्सिंग पर किये जाने की सहमति दी गई उक्त विशेषज्ञों हेतु दो कम्प्यूटर मय ऑपरेटर तथा 2 सहायक कर्मचारियों की सेवायें भी ली जा सकेंगी।

14. बैठक एजेन्डा संख्या 12:

सेवाओं की आउटसोर्सिंग हेतु विभागीय पत्र दिनांक 9.08.2010 से जारी दिशा–निर्देश के द्वारा अनुज्ञेय दरों एवं शर्तों को अनुमोदित किया गया एवं मोबाईल लेखाकर्मी की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता, प्रथम श्रेणी, वाणिज्य स्नातक के स्थान पर नरेगा कार्यक्रम के अनुरूप वाणिज्य स्नातक/सी.ए. रखी गई है। तकनीकी विशेषज्ञों की सेवाये आउटसोर्सिंग पर लिये जाने हेतु सिविल इन्जीनियर ही लिये जाने के पूर्व में निर्देश जारी किये गये थे, लेकिन क्षेत्र में उपलब्धता के अनुसार सिविल इन्जनीयर के कृषि अभियान्त्रिकी को भी लिये जाने की सहमति दी गई।

15. बैठक एजेन्डा संख्या 14: कार्योत्तर स्वीकृति के संबंध मे

क्षमता निर्माण योजना 2006–07 के तहत इन्दिरा गांधी पंचायती राज संस्थान को आवंटित राशि में से अवशेष रही राशि 37.44 लाख का व्यय नवनियुक्त कनिष्ठ अभियन्ताओं के प्रशिक्षण एवं SIRD Strengthen हेतु करने एवं मानेटरिंग सेल के लिये वार्षिक योजना 2007–10 के तहत प्रावधित राशि 15.00 लाख में से विभागीय वाहनो के पेट्रोल आदि के लिये 1.00 लाख की राशि उपलब्ध करवाने की जारी स्वीकृतियों के सम्बन्ध में समिति द्वारा कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई।

शासन सचिव एवं आयुक्त

क्रमांक:एफ.4( )पराविं/आप्र/बीआरजीएफ/एच.पी.सी.बैठक/2010–11/245 जयपुर,दिनांक 7.3.11

1. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार ।
2. निजी सचिव, सचिव, केन्द्रीय शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
3. निजी सचिव, अतिरिक्त सचिव, पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
4. निजी सचिव, राज्य आयोजना सलाहकार, योजना आयोग, भारत सरकार, नई दिल्ली।
5. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव (वित्त), राजस्थान।
6. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव (विकास), राजस्थान।
7. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
8. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग।
9. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, आयोजना, विभाग।
10. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग।
11. महानिदेशक, इन्दिरा गांधी ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान।
12. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग।
13. जिला कलक्टर .... ।
14. अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी .... ।
15. मुख्य आयोजना अधिकारी .... ।

7.3.2011

शासन उप सचिव
जिला आयोजना

परिशिष्ट – "अ"

पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि (**BRGF**) कार्यक्रम के तहत मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में गठित उच्चाधिकार प्राप्त समिति की बैठक दिनांक 24.02.2011 में उपस्थित अधिकारियों की सूची:–

क्रम सं.	अधिकारी का नाम	पद एवं विभाग
1	श्री सी.के.मैथ्यू	अति0 मुख्य सचिव (वित्त)।
2	श्री बी.बी मोहन्ती	अति0 मुख्य सचिव (विकास)।
3	श्री सी.एस.राजन	प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
4.	श्रीमती अदिति मेहता	प्रमुख शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग।
5.	श्री डी.बी गुप्ता	प्रमुख शासन सचिव, आयोजना विभाग।
6.	श्री गिरिराज सिंह	महानिदेशक, इन्दिरा गांधी ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान।
7.	श्री सियाराम मीना	प्रमुख शासन सचिव, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग।
8.	श्री प्रवीण गुप्ता	शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज विभाग।
9.	श्री रामनिवास मीणा	निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग।
10	श्री गजानन्द शर्मा	अतिरिक्त निदेशक, इन्दिरा गांधी ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान।
11.	श्री सुरजीत मीना	शासन उप सचिव, जिला आयोजना, पंचायती राज विभाग।